यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला परिवीक्षा अधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला परिवीक्षा अधिकारी, अल्मोड़ा के माह 06/2014 से 05/2017 तक के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री अरिन्दम चटर्जी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री महेश चन्द्र, पर्यवेक्षक एवं श्री गौरव पंत, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 17.06.2017 से 21.06.2017 तक श्री राज बहादुर, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1). परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री रवि शंकर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री राजबहादुर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 07.06.2014 से 16.06.2014 तक श्री राकेश कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षम में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2012 से माह 05/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 06/2014 से 05/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

2). (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः इकाई द्वारा जनपद के अंतर्गत राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं, गौरा देवी कन्याधन योजना, निराश्रित विधवा पेंशन योजना आदि योजनाओं का संचालन एवं अनुश्रवण किया जाता है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना			गैर स्थापना		बचत/आधिक्य
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	बचत/आधिक्य	आवंटन	व्यय	
2014-15			3126.96	3126.96	0.01	142.10	134.39	7.71
2015-16			2712.63	2712.63	-	146.52	130.84	15.67
2016-17			2061.85	2061.85	2.60	151.84	146.58	5.26

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(रू. लाख में)

योजना का नाम	2015-16			2016-17		
	प्रा. अवशेष	प्राप्ति	व्यय	प्रा. अवशेष	प्राप्ति	व्यय
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	-	26.17	26.17	-	26.17	26.17

(ii) इकाई को बजट आवंटन निदेशक, समाज कल्याण द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'सी' श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

1. सचिव, समाज कल्याण 2. निदेशक, समाज कल्याण 3. जिला परिवीक्षा अधिकारी

(iii) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में जिला परिवीक्षा अधिकारी, अल्मोड़ा को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण जिला परिवीक्षा अधिकारी, अल्मोड़ा की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षो पर आधारित है। माह 03/2015 से 03/2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया I विधवा पेंशन योजना, गौरा देवी कन्याधन योजना आदि का विष्लेषण किया गया है। प्रतिचयन योजनान्तर्गत के आधार पर किया गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग दो (ब)

प्रस्तर 1: गौरा देबी कन्याधन योजनान्तर्गत धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद भी 431 बालिकाओं को लाभान्वित न किये जाने तथा कुल 1753 बालिकाओं को लाभान्वित न किया जाना।

गौरा देबी कन्याधन योजना के कार्यान्वयन से सम्बन्धित जारी शासनादेश सख्याः749/XVII-4/2016-01(135) 2013- टी. सी–1 (05/16) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016–17 से योजना के अन्तर्गत आवेदन से लेकर अनुदान स्वीकृत करने तक की समस्त प्रक्रियाओं को आन लाईन किया जाएगा। गौरा देवी कन्या धन योजना के अन्तर्गत लाभ पाने हेतु निम्न पात्रता होनी चहिए':–

(I) शासनादेश के अनुसार योजनान्तर्गत सामान्य वर्ग के उन परिवारों को लाभ दिया जायेगा जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहें हो अथवा जिनकी वार्षिक आय रू 15976/(ग्रामीण क्षेत्रों) एवं में 21206/–शहरी क्षेत्र से अधिक न हो।

(II) योजना का लाभ केवल इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली बालिकाओं को ही दिया जायेगा एवं व्यक्तिगत छात्रा के सम्बन्ध में इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली केवल अविवाहित छात्रा पात्र होगी तथा उसकी उम्र उस शैक्षिक वर्ष के माह की 01 जूलाई को 25 वर्ष से अधिक न हो।

(III) योजनान्तर्गत ऐसी बालिकाऐं पात्र होगी जो राज्य में स्थित केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त (शासकीय/अशासकीय) इण्टर कालेजो से कक्षा–12 उत्तीर्ण हो।

(IV) पूर्णकालिक/अंशकालिनक रूप से सेवायोजित छात्रा इस सुविधा हेतु पात्र नही होगी।

(V) एक दम्पत्ति की अधिकतम दो पुत्रियों को ही योजना से लाभान्वित किया जायेगा।

(VI) योजना के अर्न्तगत चयनित प्रति छात्रा रू 50000 की धनराशि कन्याधन के रूप में स्वीकृत की जायेगी। धनराशि का भुगतान किसी भी राष्ट्रीयकृत बैक अथवा ऐसे शासकीय बैक जो सी बी एस माध्यम से जुडे है में छात्रा के नाम से तीन से पाचॅ वर्ष के अवधि की सावधि जमा (Fixed Deposit) के रूप में रखी जायेगी तथा जिस पर प्रचलित ब्याज दरो के अनुसार मासिक ब्याज दिया जायेगा। सावधि जमा की समय सीमा समाप्त होने पर बालिका को मूलधन प्रदान किया जाएगा।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी अल्मोड़ा के वर्ष 2014–15 से 2016–17 के लेखा अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार पात्र बालिकाओं को लाभान्वित किया गया था;

वर्ष	पात्र एवं स्वीकृत लाभार्थियों की संख्या	वास्तविक रुप से भुगतान की गयी लाभार्थियों की संख्या	भुगतान हेतु अवशेष लाभार्थियों की संख्या
2014–15	3008	3008	00
2015–16	3505	3323	182
2016–17	2587	834	1753

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 के क्रमशः 182 एवं 1753 पात्र एवं स्वीकृत बालिकाओं को वर्तमान तक लाभान्वित नहीं किया गया था। आगे अभिलेखों की जॉच में यह भी पाया गया कि वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 के क्रमशः 182 एवं 249 बालिकाओं के भुगतान के लिए धनराशि रु0 215.50 लाख उपलब्ध थे जिसे कोषागार से आहरित कर जनपद स्तर पर संचालित बैंक खाते में रखा गया था। इस

प्रकार से धनराशि के उपलब्ध होने के बावजूद भी कुल 431 बालिकाओं को वर्तमान तक भुगतान नहीं किया गया था। जॉच में यह भी पाया गया कि अवशेष 182 एवं 249 बालिकाओं के आवेदन पत्र अपूर्ण थे फिर भी कार्यालय स्तर पर इन बालिकाओं के आवेदन पत्रों को वर्तमान तक निरस्त नहीं किया गया था तथा आतिथि को भी आवेदन पत्र पूर्ण करने एवं भुगतान किये जाने की कार्यवाही गतिमान थी।

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में अवगत कराया कि 249 बालिकाओं को धनराशि प्रेषित किये जाने की कार्यवाही गतिमान है तथा 182 बालिकाओं के आवेदन अपूर्ण होने के सम्बन्ध में अवगत कराया कि कार्यालय में प्राप्त सूचना के आधार पर उक्त बालिकाएं उत्तीर्ण तो हुई परन्तु द्वारा अंकतालिका प्रस्तुत नहीं की गयी, जिसे प्राप्त करने हेतु पत्राचार किया गया है। अतः शीघ्र ही अंकतालिका प्राप्त कर भुगतान कर दिया जाएगा। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि वर्ष 2015–16 की बालिकाओं के उत्तीर्ण हुए 01 वर्ष से भी अधिक समय व्यतीत हो चुका है परन्तु वर्तमान तक इकाई द्वारा उनके अंकतालिका प्राप्त नहीं किये जा सके है। इस प्रकार से इन्हे ससमय लाभान्वित नहीं किया जा सका है।

अतः गौरा देबी कन्याधन योजनान्तर्गत धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद भी 431 बालिकाओं को लाभान्वित न किये जाने तथा कुल 1753 बालिकाओं को लाभान्वित न किये जाने सम्बन्धी प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 2 : आवासीय छात्रावास में भोजन व्यवस्था रू0 7.04 लाख का अनियमित व्यय।

समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित आवासीय संस्थाओं में भोजन व्यवस्था के सम्बन्ध में जारी शासनादेष (जनवरी/2009) में स्पष्ट प्रावधान है कि समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न आश्रम पद्धति विद्यालय तथा 25 एवं उससे अधिक संवासियों/संवासिनियों की समस्त आवासीय संस्थाओं में भोजन व्यवस्था निविदा के आधार पर आउटसोर्स के माध्यम से कराये जाने का प्रावधान है।

कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी, अल्मोड़ा के लेखा अभिलेखों की जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा संचालित आवासीय राजकीय बाल गृह किशोरी अल्मोड़ा में वर्ष 2016–17 में संवासियों/संवासिनियों की संख्या 25 से अधिक थी। जिसके लिए नियमानुसार निविदा के माध्यम से भोजन की व्यवस्था किया जाना चाहिए था। जिसका अनुपालन कार्यालय द्वारा नहीं किया गया। संस्था में भोजन व्यवस्था पर बिना निविदा के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से बाजार दर पर क्रय कर लिया गया। वर्ष 2016–17 में भोजन व्यवस्था पर रू0 7.04 लाख की धनराशि व्यय किया गया है। जो कि शासनादेश की अवहेलना है। जबकि नियमानुसार संस्था पर भोजन व्यवस्था निविदा के आधार पर किया जाना चाहिए था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई ने कहा कि शासनादेशानुसार शीघ्र ही टेण्डर कराकर भोजन व्यवस्था सुचारू की जायेगी। इकाई के उत्तर से लेखापरीक्षा आपत्ति की स्वतः पुष्टि होती है।

अतः आवासीय छात्रावास में भोजन व्यवस्था पर रू0 7.04 लाख का अनियमित व्यय करने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 1 : कार्यालय द्वारा कोषागार से आहरित कर रू0 164.32 लाख की धनराशि बैंक खाते में अवरूद्ध रहना।

उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या : 99/xxvii (14)/2009 दिनांक 03.09.2009 के प्रावधानों के अनुसार सरकारी विभागों के कार्य हेतु बैंक में खाता खोलने का कोई प्रावधान नहीं है जब तक कि शासन के वित्त विभाग द्वारा विशेष कार्य/अवधि हेतु अनुमति प्राप्त न की गई हो। यदि कोई अनाधिकृत बैंक खाता खोला गया हो तो उसे तत्काल बन्द कर दिया जाये एवं खाते में अवशेष धनराशि विभागीय पी.एल.ए. में रखी जाये तथा उस पर अर्जित ब्याज सुसंगत लेखाशीर्ष 0049 में तत्काल जमा करा दिया जाये। यह भी वर्णित है कि जब किसी कार्य के लिये तत्काल धन की आवश्यकता हो तभी कोषागार से आहरित किया जाये।

कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी, अल्मोड़ा के अभिलेखों की जांच में यह पाया गया कि कार्यालय द्वारा संचालित योजनाओं की धनराशि कोषागार से आहरित कर बैंक खाते मे जमा किया जाता है एवं समय समय पर आवश्यकता अनुसार भुगतान किया जाता है। इसके अतिरिक्त भुगतान किये गये विधवा भरण पोषण अनुदान एवं गौरादेवी कन्याधन योजना में वितरित धनराशि की वापसी के धनराशि भी बैंक खाते में जमा करने का प्रचलन देखा गया। कार्यालय द्वारा संचालित बैंक खाते अल्मोड़ा र्वण को–ऑपरेटिव में दिनांक 31.03.2017 को कुल रू0 16432186.91 की धनराशि जमा दर्शाता है जो कि शासनादेश का उल्लघंन दर्शाता है।

लेखापरीक्षा में पूछे जाने पर इकाई द्वारा आपत्ति में सहमति देते हुए यह बताया गया कि शीघ्र ही बकाया भुगतान कराते हुए अवशेष धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

अतः अवरूद्ध धनराशि रू0 164.32 लाख का प्रकरण उच्चाधिकारी के संज्ञान में लाया जा रहा है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

प्रतिवेदन संख्या	वर्ष	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
36	2014-15	शून्य	01	शून्य

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
उपरोक्त वर्णित अनिस्तारित प्रस्तरों के निस्तारण के संबंध में इकाई ने अवगत कराया कि वर्तमान में अनुपालन आख्या तैयार नहीं है जिसे यथाशीघ्र तैयार कर उच्च अधिकारियों की संस्तुति के साथ उचित माध्यम से कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को प्रेषित कर दिया जायेगा।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.... शून्य ....

भाग-V

आभार

1). कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **जिला परिवीक्षा अधिकारी, अल्मोड़ा** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

अप्रस्तुत अभिलेख: मार्च 2016 के रू0 2.48 लाख धनराशि के वाउचर अप्रस्तुत।

2). सतत् अनियमितताएः शून्य

3). लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया :

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	श्रीमति चन्द्रा चौहान	जिला समाज कल्याण अधिकारी
2.	मो. असलम	जिला समाज कल्याण अधिकारी
3.	श्री राजीव नयन	जिला समाज कल्याण अधिकारी

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **जिला परिवीक्षा अधिकारी, अल्मोड़ा** को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे "उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, सी- 1/105, वैभव पैलेश, इंदिरा नगर, देहरादून, 248006" को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
(सामाजिक क्षेत्र)